भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2075
दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 को उत्तर के लिए

निर्भया कोष के अन्तर्गत पीड़ित मुआवजा योजना

2075. श्री ज्ञानतिरावियम एस. :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने निर्भया कोष के अंतर्गत पीड़ित मुआवजा योजना अधिसूचित कर दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(ग) इस निधि की स्थापना से अब तक राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(घ) क्या शारीरिक/मानसिक रूप से निःशक्त पीड़ितों के लिए अलग से कोई मुआवजा है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) तथा (ख): राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों की पीड़ित प्रतिकर योजनाओं को सहायता और अनुपूरित करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने निर्भया निधि से केन्द्रीय पीड़ित प्रतिकर निधि (सीवीसीएफ) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एकमुश्त अनुदान के रूप में 200 करोड़ रुपए जारी किए थे ताकि विभिन्न अपराधों, विशेषकर बलात्कार सहित यौन अपराधों, एसिड हमलों, बच्चों के खिलाफ अपराधों, मानव तस्करी आदि के पीड़ितों को मुआवजा दिया जा सके। उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2016-17 में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 200 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई थी।

(ग) तथा (घ): जारी की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियों का ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है। शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग पीड़ितों के लिए मुआवजा सीवीसीएफ में शामिल है।

अनुलग्नक

'निर्भया निधि के तहत 'पीड़ित प्रतिकर योजना' के संबंध में 15.12.2023 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2075 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2016-17 के दौरान जारी की गई राशि (रुपये लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	662
2	अरुणाचल प्रदेश	33
3	असम	860
4	बिहार	722
5	छत्तीसगढ	685
6	गोवा	50
7	गुजरात	390
8	हरियाणा	550
9	हिमाचल प्रदेश	120
10	जम्मू एवं कश्मीर (जम्मू एवं कश्मीर)*	170
11	झारखंड	450
12	कर्नाटक	995
13	केरल	760
14	मध्य प्रदेश	2180
15	महाराष्ट्र	1765
16	मणिपुर	34
17	मेघालय	50
18	मिजोरम	48
19	नगालैंड	10
20	ओडिशा	1060
21	पंजाब	410
22	राजस्थान	1545
23	सिक्किम	23
24	तमिलनाडु	565
25	तेलंगाना	590
26	त्रिपुरा	115
27	उत्तर प्रदेश	2810
28	उत्तराखंड	125
29	पश्चिम बंगाल	1265
30	दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	880
31	पुदुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	10
32	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	20
33	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	10
34	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	23
35	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्र)	15
	कुल	**20000.00**

* इसमें जम्मू-कश्मीर राज्य के पूर्व भाग के रूप में लद्दाख शामिल है। अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश अलग-अलग हैं।

*****